राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर
वित्त भवन, जनपथ जयपुर

क्रमांक :– एफ.10(एपीएआर)(सलेअ ग्रेड–I)(अचल सम्पत्ति)2020 / 193 दिनांकः– 14/7/2020

परिपत्र

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग के परिपत्र कमांक प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 (1 जनवरी 2020 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID में लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के IPR MODULE में स्वयं अधिकारी द्वारा आन लाइन पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13.07.2020 के अनुसरण में अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु **समयावधि 31 अगस्त, 2020 तक की गई है**। प्रायः यह पाया गया है कि सहायक लेखाधिकारियों ग्रेड–प्रथम द्वारा स्थायी सम्पत्ति की सूचना में कार्यरत विभाग अंकित किया जाना है। जिन सहायक लेखाधिकारियों ग्रेड–प्रथम द्वारा IPR भरते समय सहवन से निदेशालय कोष एवं लेखा के स्थान पर अन्य विभाग अंकित कर दिया गया हैं, वे सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम इस अवधि में ऑन–लाइन संशोधित IPR भर सकेंगें ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध है कि जब तक आपके विभाग / कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID में लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के IPR MODULE द्वारा भर कर निदेशालय कोष एवं लेखा (Directorate Treasuries and Accounts Department) पर अपलोड नहीं की जायेगी, तब तक उनके वेतनवृद्वि, पदोन्नति एवं (चयनित वेतनमान) ACP प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.10(एपीएआर)(सलेअ ग्रेड–I)(अचल सम्पत्ति)2020 / 194-199 दिनांकः– 14/7/2020
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / कोषाधिकारी ....कार्यालय को प्रेषित है ।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय
4. एसीपी उप निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को परिपत्र विभाग की वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
5. सहायक निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा ।
6. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को पालनार्थ प्रेषित है ।
7. रक्षित पत्रावली

अति0 निदेशक (कार्मिक–प्रथम)

RB